कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक– 221 /33–1/दिनांक, हमीरपुर, जुलाई, 29, ,2020.

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त बाँदा।

विषयः–जनपद–हमीरपुर में बिलरायॉ–पनवाड़ी मार्ग (राज्य राजमार्ग–21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) तक 4–लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 49.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/41235/2019

सन्दर्भः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–156/11–सी–FP/UP /Road /41235/2019/दिनॉक 20.07.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निम्न प्रकार निराकरण कर अभिलेख 4 प्रतियों में संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

क्र0सं0	बिन्दुवार कमियॉ	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
1	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–3 के निराकरण के सम्बन्ध में चैनेज वाइज Land Schedule संलग्न नही किया गया है।	चैनेज वाइज Land Schedule संलग्न है।
2	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–6 के निराकरण के क्रम में संलग्न किये गये Cost benefit analysis में वृक्षारोपण किये जाने वाले पौधों की संख्या गलत अंकित की गयी है। अतः संशोधित Cost benefit analysis संलग्न करें।	संशोधित Cost benefit analysis संलग्न है।
3	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–7 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–9 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

23/7/20